Impact Factor (SJIF): 6.092 E-ISSN: 2583-1615

International Journal of Research in Academic World

Received: 06/March/2024 IJRAW: 2024; 3(4):108-112 Accepted: 10/April/2024

राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं युवा भारत का भविष्य

*[1]अर्चना शर्मा

*[1]उपप्राचार्य, वेदान्ता पी.जी. गर्ल्स कालेज, रींगस, सीकर, राजस्थान, भारत।

सारांश

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कियान्वयन में अनेक चुनौतियां जैसे अधोसंरचना की कमी, रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति, प्रतिभावान विधार्थियों का कम रूझाान, पाठ्यक्रम को आधुनिक बनाना, व्यावसायिक शिक्षा को प्राथमिकता देना, उभरती हुई प्रौद्योगिकी को एकीकृत करना, जागरूकता की कमी, वित का अभाव, संसाधनों की कमी, परम्परागत शिक्षा पद्वति, शोध प्रणाली की कमी आदि है। बडी संख्या में उच्च शिक्षण संस्थायें खोलने पर उन्हें अयोग्य शिक्षक चलायेगे तो पढकर निकलने वाले स्नातक काम करने योग्य नही होगे और अधिक फीस के कारण साधरण परिवार कर्ज तले दब जाते है। युवा वर्ग बेरोजगार रहे तो उनके अपराध की ओर जाने का खतरा बढ जाता है। शिक्षकों के तबादलें पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी जाए। शिक्षक का जुडाव समुदाय से होता है। बच्चों के बारे में वह तभी समझ पायेगे जब लंबे समय तक एक स्थान पर रह कर कार्य करे। पांचवी तक की शिक्षा को अनिवार्य व निशुल्क किया जाये, इसके लिए शिक्षा विभाग से अनुमति लेने की आवश्यकता नही है। समाज सेवी एवं स्वैच्छिक संस्थाएं भी आगे आए। शिक्षा के व्यावसायिकरण को रोका जाये। आधुनिकीकरण एवं नवीनीकरण को बढावा दिया जाये। निजी एवं सरकारी शिक्षण संस्थाओं के बीच भेद खत्म किया जाये। यह सार्वभौमिक सत्य है कि किसी राष्ट्र का समग्र विकास शिक्षा के माध्यम से ही सम्भव है। आदर्श शिक्षक से आदर्श समाज एवं राष्ट्र बनता है।

मुख्य शब्दः राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, संभावनाएं एवं चुनौतिया।

प्रस्तावना

राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विजन

शिक्षानीति में परिकल्पित है कि हमारे संस्थानों की पाठ्यचर्या और शिक्षा विधि छात्र–छात्राओं में अपनें मौलिक दायित्वों और संवैधानिक मूल्यों एवं देश के साथ जुडाव और बदलते विश्व में नागरिकों की भूमिका, दायित्वों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करे। नीति में वर्णित आदर्श विद्यार्थियों में भारतीय होने का गौरवज्ञान, विचारों, व्यवहारों, कार्यो, बुद्वि, सोच, मूल्यों एवं ज्ञानकौशल आदि में भी होना चाहिए, जो मानवाधिकारों, स्थायी विकास और रोजगार तथा वैश्विक कल्याण के लिए प्रतिबद्वता सही मायने में होनी चाहिए। नई नीति भारतीय मूल्यों से विकसित ऐसी शिक्षा प्रणाली है जो सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराए और भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाकर समाज में बदलाव लाने के लिए न्यायसंगत व जीवंत ज्ञान में प्रत्यक्ष रूप से योगदान देती है।

स्वतंत्र भारत में अब तक तीन राष्ट्रीय शिक्षा बनी है। सर्वप्रथम वर्ष 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी। इसमें 10 वर्षीय शिक्षा की आधारभूत पाठ्यचर्चा निर्माण की बात कही गई थी। विधार्थियों के लिए शिक्षा बोझ समान न हो, पाठ्यक्रम अधिक विस्तृत न हो, राष्ट्र सेवा कार्यो की अनिवार्यता हो। माध्यमिक शिक्षा स्तर पर त्रिभाषा सूत्र को लागू किया जाना निश्चित किया गया। इसमें कहा गया था कि इसका हर पॉच साल से रिव्यू होगा। यह समिति डी. सी. कोठारी की अध्यक्षता में बनी थी। इसके बाद 1986 में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी और 1992 में उसमें आवश्यकतानुसार संशोधन किए गए।

29 जुलाई 2020 को माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की। इस शिक्षा नीति

*Corresponding Author: अर्चना शर्मा

के विमर्श में लगभग 2 वर्ष का समय लगा और करोडों लोगों के सुझाव समाहित किए गए। अतः ये शिक्षा नीति सर्वव्यापी, सर्वसमावेशी, सर्वहितकारी और राष्टीय विचारों से ओतप्रोत है। इसमें शिक्षक, विधार्थी, राजनेताओं, प्रशासक, अभिभावक एवं प्रबुद्व वर्ग के विचार समाहित है। यह नीति बडे मंथन, मेहनत के बाद बनी है, अतः देश के सम्रग विकास में अपनी भूमिका अदा करेगी। इस शिक्षा नीति में विज्ञान व तकनीक के समुचित उपयोग पर बल दिया गया है। 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रारूप पूर्व भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रमुख के. कस्तूरीरंगन के नेतृत्व में विशेषज्ञों के एक पैनल द्वारा तैयार किया गया। वर्ष 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ऐसी अनेक कमियॉ रह गई थी, जिन्हे दूर करने के लिए नई शिक्षा नीति अपनाई गयी, जिनका स्वपन महात्मा गांधी और विवेकानन्द ने देखा था।

नई शिक्षा नीति का उद्वेश्य

वाइब्रेटं नॉलेज सोसायटी का निर्माण, उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, मानवीय मूल्यों का निर्माण, रचनात्मक के साथ तकनीकी शिक्षा व राष्ट्रीय भाव जागृत करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, सभी को शिक्षा का लाभ अनिवार्य रूप से प्राप्त हो, ये भावना समाहित है। सम्भावित रूप से इस शिक्षा नीति से 60 करोड से ज्यादा व्यक्ति सीधे रूप में प्रभावित होगे। इस शिक्षा नीति में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम परिवर्तित कर शिक्षा मंत्रालय किया गया है। केवल नाम परिवर्तन ही नही बल्कि दृष्टि परिवर्तन का सूचक है। शैक्षिक क्षेत्र में भारत को वैश्विक महाशक्ति बनाने के लिए बुनियादी बदलाव किए गए है। मानव जीवन के सभी पहलुओं को ध्यान में रखा गया।

विधालयी स्तर पर शिक्षा में बडे परिवर्तन के रूप में: इस नीति में (5334) किया गया है। जो पूर्व में (10 1या 102) था। अब बच्चों की शिक्षा की प्रारम्भिक अवस्था जिसे फाउडेशन स्टेज या नीव कहा जाता है। अब 3 वर्ष के बच्चों को विधालय में प्रवेश देकर प्री प्राइमरी के तीन वर्ष व पहली व दूसरी कक्षा सहित कुल 8 वर्ष की आयु पूर्ण करने के द्वौरान खेलकूद, संगीत, कला, योग, साहित्य, गणित कौशल के साथ शारीरिक व मानसिक विकास पर बल दिया। ये मातृभाषा में ही सिखाया जाएगा। बच्चों के लिए मिड–डे मील एवं आंगनबाडी की व्यवस्था रहेगी। 3 वर्ष तक बच्चे आंगनबाडी में प्री स्कूलिंग शिक्षा लेगे और अगले दो साल प्रथम व द्वितीय कक्षा में पढेगें। इसमें बच्चों को बस्ते का भारी वजन नही ढोना पडेगा। 5 साल क्रियाओं पर आधारित शिक्षण पर बल दिया जायेगा। अब स्कूलों में बच्चों का दाखिला 3 साल में ही होगा और शुरूआत के पांच वर्षो तक परीक्षा नही देनी होगी।

प्रीप्रेटरी स्टेज में कक्षा (3–5) तक की पढाई होगी। इस द्वौरान प्रयोगों के जरिए बच्चों को विज्ञान, गणित, कला आदि की शिक्षा दी जाएगी। इस स्टेज में बच्चों को मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा दी जाएगी। मिडिल स्टेज में बच्चा कक्षा 6 में आएगा और 6 से '8 कक्षा में व्यावसायिक शिक्षा जैसे–कंप्यूटर ट्रेनिंग, सिलाई, बुनाई, बढई आदि की टेनिंग दी जाएगी, ये किसी भी भारतीय भाषा में होगी।

सेकेंडरी स्टेज में कक्षा (9 से 12) तक बच्चे विविध प्रकार के विषय ले सकेगे। विज्ञान, कला, वाणिज्य इन सभी स्टीम को हटा दिया गया है, विधार्थी अपने विषयों का चुनाव करने को स्वतंत्र है। वे विज्ञान विषय के साथ सामाजिक विज्ञान के विषय लेने को स्वतंत्र है। परीक्षा पद्वति में परिवर्तन किया गया है। कक्षा 9 से 12 तक की परीक्षा सेमेस्टर प्रणाली से होगा। इसमें 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए व्यवस्था है। कक्षा 10 वीं की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। अब विधार्थियों को केवल 12 वीं की ही परीक्षा देनी होगी। भाषा की बाध्यता नही होगी, उनके लिए संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं को पढने के विकल्प भी मौजूद रहेगें।

उच्च शिक्षा में ग्रेजुएशन की डिग्री 3 और 4 वर्ष की होगी। एक वर्ष पढाई करने के बाद यदि विधार्थी बीच में पढाई छोडता है और फिर दुबारा अपनी पढाई जारी करने का मन बनाता है तो वह अपनी पढाई वहीं से प्रारम्भ कर सकता है जहॉ से उसने अपनी पढाई को छोडा था। 4वर्ष ग्रेजुएशन की डिग्री लेने वाले विधार्थी एक वर्ष में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पाएॅगें। विधार्थियों को कॉलेज में एक वर्ष की पढाई पूरी होने पर सर्टिफिकेट, दूसरे वर्ष पर डिप्लोमा व तीसरे और चौथे वर्ष में डिग्री दी जाएगी। 3 वर्ष की डिग्री उन विधार्थियों के लिए होगी, जिन्हे हायर एजुकेशन नही करना है, जब कि हायर एजुकेशन करने वालों को 4 वर्ष की डिग्री लेनी होगी। यदि कोई अपने कोर्स के बीच में से किसी दूसरे कोर्स में शामिल होना चाहता है तो वह सीमित समय के लिए ब्रेक लेकर अपना कोर्स बदल सकता है। एम. फिल. की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है, अब विधार्थी सीधे पी. एच. डी कर पाएगें।

उच्च शिक्षा में बदलावः युवाओं के लिए उच्चतर शिक्षा का मुख्य उद्वेश्य युवाओं को समाज एवं देश की समस्याओं के लिए प्रबुद्व जागरूक एवं सक्षम बनाना है ताकि युवा नागरिकों का उत्थान कर सकें और समस्याओं के सशक्त समाधान ढूढकर और उन समाधानों को कार्यान्वित करके एक प्रगतिशाली, सुसंस्कृत, उत्पादक ओर समृद्व राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर सकें। उच्चतर शिक्षा के संदर्भ में विभिन्न आयामों की ओर अग्रसर होती हुई, इसमें मुख्य बिन्दु गुणवत्तापूर्ण विश्वविधालय और महाविधालयों, संस्थागत पुर्नगठन और समेकन, समग्र और बहु–विषयक शिक्षा, सीखने हेतु सर्वोतम वातावरण और सक्षम संकाय, शिक्षा में समता का समावेश, भविष्य में योग्य शिक्षको एवं विषय विशेषज्ञों का निर्माण, व्यावसायिक शिक्षा का नवीव स्वरूप, गुणवत्तायुक्त अकादमिक अनुसंधान, उच्चतर शिक्षा की नियामक प्रणाली में आमूलचूक परिवर्तन, उच्चतर शिक्षा संस्थानों में प्रभावी प्रशासनिक नेतृत्व, कौशल विकास पाठ्यक्रमों का समावेश आदि है।

वर्तमान शिक्षा प्रणाली में व्यक्त्विविकास एवं रोजगार की सक्षमता का एक मापदण्ड अंग्रेजी भाषा कौशल भी है,

जिसने देश के अधिकांश युवावर्ग के आत्मविश्वास की कमर तोड कर रख दी है और किसी न किसी तरह पटल पर उन्हें कमतर साबित कर देता है, चाहे वह युवावर्ग कितना ही ज्ञानवान क्यो न हो। नई शिक्षा प्रणाली स्थानीय या भारतीय भाषाओं में शिक्षा कार्यक्रमों का माध्यम प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त बहुविषयक विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा संस्थान, एच.ई.आई हायर एजुकेशनल इंस्टीटयूशन्स गठित किये जाएगे। शोध गहन विश्वविद्याालय शोध को बढावा देगे और शिक्षक गहन विश्वविद्यालय गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के साथ महत्वपूर्ण अनुसंधान का संचालन करेगे। स्वायत्त डिग्री देने वाले कालेज स्नातक शिक्षण पर केन्द्रित व निरन्तर रूप से संचालित रहेगे।

कौशल विकास पर जोरः भारत में समग्र और बहुविषयक शिक्षा की प्राचीन परम्परा है। ज्ञान का विभिन्न कलाओं के रूप दर्शन भारतीय चिन्तन की देन है, जिसे पुनः भारतीय शिक्षा में शामिल किया जायेगा। इसका एक महत्वपूर्ण प्रभाव यह होगा कि युवाओं के लिए कभी भी भविष्य में आर्थोपार्जन का कोई रास्ता बंद नही होगा। वो अपने सम्पूर्ण ज्ञान का प्रयोग स्वयं के व्यक्तिगत विकास में सामाजिक और राष्ट के विकास में कर पायेगे।

छात्रों में गुणवत्तापूर्ण आदान–प्रदान हेतु विभिन्न क्लब और गतिविधियां करवाई जाएगी, जिससे कि एक स्वतंत्र माहौल में शिक्षकों का सम्बन्ध विधार्थियों के मार्गदर्शक और संरक्षक के रूप में भी हो सके। आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों को आर्थिक सहायता ही नही अपितु उनके शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक कल्याण को बेहतर बनाने हेतु परामर्शदाता नियुक्त किए जायेगे। ओपन और डिस्टेंस लर्निंग और आनलाइन शिक्षा की गुणवत्ता के लिए रूपरेखा तैयार करके नवीनीकृत किया जायेगा। सभी कार्यक्रमों का यही लक्ष्य होगा कि सभी कार्यक्रमों गुणवत्ता के वैश्विक मानकों को प्राप्त कर सके। इसका लाभ यह होगा कि युवावर्ग दूसरे देशों की ओर कम आकृर्षित होगे और देश की प्रतिभाओं का सदुपयोग देश के विकास के लिए भी हो पायेगा।

सशक्त देश के विकास का आधार नई शिक्षा नीतिः शिक्षा नीति में बदलाव अर्न्तराष्टीय विधार्थियों को भारत के शिक्षण संस्थाओं की ओर आकृर्षित करेगें और भारत विश्वगुरू के रूप में अपनी पहचान बना पायेगा। युवा वर्ग का आत्मविश्वास बढेगा और वे वैश्विक स्तर पर विभिन्न चुनौतियों का सामना निर्भिकता के साथ कर पायेगे। किसी भी देश के विकास, स्म्पन्नता, सुदृढ सांस्कृतिक विकास का आधार सशक्त शिक्षा नीति होती है और नई शिक्षा नीति ऐसे सभी पहलुओं को लेकर चलेगी, जिससे कि सारे उॅचे मानकों पर स्वयं को स्थापित कर सके। भारत की नई शिक्षा नीति युवावर्ग के व्यक्तित्व का विकास इस प्रकार करेगी कि उनमें अपने मौलिक दायित्वों, संवैधानिक मूल्यों, देश के साथ जुडाव, बदलते विश्व में नागरिकों की भूमिका और उतरदायित्वों की जागरूकता उत्पन्न हो सकें। भारतीय इतिहास की प्राचीन गौरव शाली संस्कृति, इतिहास, महापुरूष एवं वीरागंनाओं के बलिदान, शौर्य गाथ से युवा पीढी को अवगत कराने के लिए पाठ्य पुस्तकों में ऐसे अध्यायों को जोडा जाना चाहिए तथा अंग्रेजों एवं आक्रान्ताओं की हुकूमत, उनकी साम्राज्य विस्तार की नीति, हमारे राजाओं की असफलताओं को बढाचढा कर दर्शाया गया है, ऐसी घटनाओं को हटाया जाये, हमारी सम्यता व संस्कृति का इतिहास बडा गौरवशाली रहा है। भारत ज्ञान, शिक्षा, संस्कृति, आध्यात्म, योग, संगीत, शिल्प, कला, मूर्तिकला, सांख्य का महान केन्द्र रहा है अतः पाठ्य पुस्तकों के द्वारा युवा पीढी को भारतीयता के प्रति सम्मान, स्वाभिमान का ज्ञान कराया जाये।

नई शिक्षा नीति का कियान्वयनः केंद्र सरकार ने वर्ष 2020 में इसका निर्माण कर दिया। राज्य सरकारों की अनुमति से ही इसे लागू किया जाएगा। कर्नाटक नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य और मध्यप्रदेश दूसरा राज्य बन गया है।उत्तर प्रदेश ने 2021–22 से ही नई शिक्षा नीति को लागू कर दिया है। उत्तराखंड में प्री–प्राइमरी स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अभी हाल ही में लागू किया गया है।वर्ष 2023 से नए पाठ्यक्रम के अनुसार पढाई होगी। विधालयी शिक्षा हेतु बाल वाटिका में गुणवत्ता ईसीसीई, निपुण भारत, विधा प्रवेश, परीक्षा सुधार तथा कला–एकीकृत शिक्षा, खिलौना आधारित शिक्षा शास्त्र जैसे अभिनव शिक्षण जैसे पहल बेहतर अधिगम परिणामों एवं बच्चों के समग्र विकास के लिए मल्टी मॉडल शिक्षा हेतु स्वयं, दीक्षा, स्वयं प्रभा, वर्चुअल प्रयोगशाला एवं आनलाइन संसाधन पोर्टलों पर प्रवेश एवं छात्र पंजीकरण में तीव्र वृद्वि देखी जा रही है। यूजीसी ने दूरस्थ अधिगम, मुक्त एवं ऑनलाइन कार्यक्रम विनिमय अधिसूचित किए है, जिनके तहत 59 उच्च शिक्षण संस्थान, 351 पूर्ण ऑनलाइन कार्यक्रम तथा 86 एचईआई, 1081ओडीएल कार्यक्रम संचालित किए है।यूजीसी ने 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए है। 1. एक साथ दो डिग्री जैसे यूजी, पीजी या डिप्लोमा प्राप्त करने का अवसर, 2. भारतीय और विदेशी विश्वविधालयों के बीच सहयोग के लिए विनिमय तैयार करना 3.यूजी विधार्थियों को स्नातक के बाद पीएचडी करने की अनुमति प्रदान करना।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रमुख विशेषताओं में

प्रारम्भिक बचपन की देखभाल और शिक्षा यानी ईसीसीई मूलभूत संरचना और संख्यात्मकता यानी एफएलएन पर ध्यान देना। ड्रापआउट को कम करना और स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर सार्वभौमिक पहुॅच सुनिशचित करना, जिसमें गुणवत्ता, उत्तरदायित्व, वहनीयता जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया। मौजूदा परीक्षा प्रणाली में सुधार द्वारा शिक्षा के ढाचें में सुधार लाना।

राजस्थान में उच्च शिक्षा को मजबूत करने, विधालयों एवं महाविधालयो में आधारभूत सुविधाओं एवं सुविधाओं को विकसित ऐसे सरकारी स्कूल व कालेज जो किराए के भवनों में संचालित थे या जिनको जमीन अलॉट हो गई एसे 50 संस्थाओं के लिए नये भवनों का निर्माण होगा,

डिजिटल शिक्षा पर फोकस किया जाएगा इसके लिए वर्चुअल लैब और वोकेशनल शिक्षा पर जोर दिया जाएगा, अभी तक 1800 स्कूलों में संचालित है प्रदेश के 5000 स्कूलों में वोकेशनल शिक्षा शुरू की जाएगी। शिक्षण संस्थानों में लबें समय से रिक्त चल रहे लगभग 60 हजार पदों को भरा जाएगा। प्रदेश में पहला सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस एजुकेशनल हब बनाया जाएगा। नई शिक्षा नीति को धरातल पर लाने के लिहाज से प्रधानमंत्री श्री योजना में 402 स्कूलों को मॉडल स्कूल के तर्ज पर विकसित किया जाएगा। जिनमें संसाधन से लेकर डिजिटल शिक्षा, खेल मैदान आदि सुविधाएं होगी ताकि विधार्थियों को पढाई के साथ रोजगार परक शिक्षा से जोडा जा सकें। प्रदेश के सभी संभाग मुख्यालयों पर टेक्नोलॉजी व जिला मुख्यालयों पर आई स्टार्ट नेस्ट इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित किये जाएगे। नीति आयोग की शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट में राजस्थान नें कई राज्यों को पीछे छोडते हुए अपनी धाक दूसरे पायदान पर बनाये हुए है। नीट और जेईई के परिणाम अच्छे कोंचिग सेंटर के जरिए टापर्स देने की परम्परा वर्ष 2023 तक जारी हैं। इंजीनियरिंग, मेडिकल के साथ राजस्थान एवं भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में भी हमारे होनहार आगे बढ रहे है। केन्द्र सरकार ने सेना भर्ती में अग्निवीर योजना शुरू की है पर सीकर, झुंझुनू, बीकानेर, चुरू, जोधपुर, अजमेर, टोंक एवं अलवर कई जिलों में सफलता की दर 45 फीसदी से ज्यादा है। हमारे युवाओं का रूझान नई शिक्षा नीति के बाद नेशनल डिंफेस जैसे पाठ्यक्रमों की तरफ लगातार बढ रहा है।ऑल इण्डिया सर्वे हायर एजुकेशन वर्ष 2020–2021 के अनुसार राजस्थान 92 विश्वविद्यालयों के साथ पहले स्थान पर रहा लेकिन वर्ष 2022–23 में उच्च शिक्षा में ग्रोस एनरोलमेंट अनुपात में 0.14 फीसदी अब तक की सबसे कम बढोतरी दर्ज की, सरकारी आकडों के मुताबिक लेटेस्ट डवलपमेंट दर पिछले 18 सालों में सबसे कम है। नौनिहालों की शिक्षा नींव मजबूत करने के लिए आंगनबाडी एवं बाल शिक्षा केन्द्रों के विकास के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में नामाकंन में भी इजाफा होगा। 2005–06 में 100 छात्रों पर 63 छात्राएं अध्ययनरत् थी वहीं 2022–23 में यह संख्या 111 हो गई है। प्रदेश में 2395 महाविधालय है, इनमें से 02 स्ववित्तपोषित, 06 पीपीटी मॉडल के, 445 सामान्य शिक्षा के, 16 विधि के, 29 कृषि के और 1897 निजी महाविधालय है। अजमेर, कालाडेरा, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर आदि राजकीय महाविधालयों में स्मार्ट सांइस लैब स्थापित की गई है। प्रदेश में 30, 000 से अधिक छात्राओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। 1.65 लाख युवाओं को सॉफ्ट स्किल ट्रेनिग दी जायेगी इनमें 1.20 लाख महाविधालय स्तर के एवं 45 हजार स्कूल स्तर के होगे। महाविधालयों में वर्ष में दो बार प्लेसमेंट ड्राइव रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कैम्पस में आयोजित की जाएगी। 131 सरकारी स्कूलों को महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम में स्पांतरित करने, इनमें 8 बालिका विधालय भी शामिल है। राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस्ड टेक्नालाजी केंद्र खोलने के लिए 25.90 करोड का प्रावधान किया गया है। राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम मेधावी विधार्थियों के लिए आयोजित करवाया जाएगा, इसमें 10–12 कक्षा वाले अभ्यार्थीयों को 1250 रूपये तथा कालेज में दो हजार रूपये छात्रवृति के रूप में दी जाएगी। उच्च शिक्षा में शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार करनें के लिए जयपुर में स्टेट फेकल्टी डवलपमेंट एकेडमी स्थापित करने को मंजूरी दी गई है। शिक्षा, विज्ञान, प्रौधोगिकी, इंजीनियरिंग, खेल तथा शारिरीक शिक्षा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन माइलस्टोन बनेगा।

केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा के तमाम प्रस्तावों और प्रावधानों को अमलीजामा पहनाने के लिए केन्द्रीय सरकार के साथ–साथ राज्यवार स्तरों पर भी कार्य समूह गठित किये है। कई प्रोजेक्ट पर कार्य चल रहा है, जैसे–स्टार्स यानी स्टेंथनिंग टीचिंग–लर्निंग एडं रिजल्ट्स फॉर स्ट्रेटस इससे स्कूल परिसरों में रट्न्त विधा के स्थान पर प्रारम्भिक बाल शिक्षा का सशक्तिकरण होगा।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मूल्याकंनः इस नीति द्वारा देश के विधालय एवं उच्च शिक्षा में क्रांतिकारी एवं युगान्तकारी सुधारों की अपेक्षा की गई है। इसके उद्वेश्य के तहत वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100 प्रतिशत जी. ई. आर. अर्थात सकल नामांकन अनुपात के साथ पूर्व–विधालय से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य रखा गया। केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर जी. डी. पी. के 6 प्रतिशत हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया। इस नीति के द्वारा असमानताओं को दूर कर विशेष रूप से महिलाओं, अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के लिए शैक्षिक अवसर की बराबरी करने पर विशेष जोर दिया गया।

भारतीय ज्ञान परम्परा के नवसंधान द्वारा भारतीय समाज का नवजागरण इस नीति का मुख्य ध्येय है। गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा तक सबकी पहुचॅ यानी ग्रामीण क्षेत्रों तक सुनिश्चित करना, इक्कीसवीं सदी की आवश्यकताओं व चुनौतियों को मद्देनजर रखकर यह नीति विधार्थियों के सर्वागीण विकास पर बल देती है। इस नीति में नयी शिक्षण अधिगम और मूल्याकंन पद्वतियों को अपनाते हुए शिक्षा को कौशल आधारित बनाने पर जोर दिया गया है। स्टार्स नामक प्रोजेक्ट भी इसमें नई पहल है। यह स्कूली शिक्षा के कायाकल्प की एक परियोजना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सभी शिक्षण सोपानों को समुचित महत्व देते हुए उनमें आमूलचूक बदलावों की प्रस्तावना है। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है अतः इसके क्रियान्वयन में केंद्र और राज्य सरकारों का समन्वय अति आवश्यक है। यह नीति एक व्यापक दृष्टिकोण एवं समग्रता रखती है। वर्ष 2025 तक प्री–प्राइमरी विधालयों से माध्यमिक स्तर तक 100 प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य प्राप्त करना है। विधालयी और उच्चतर शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम से कम 50 प्रतिशत विधार्थियों को वर्ष 2025 तक व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए तैयार किया जाना, जिसके लिए निश्चित समय सीमा एवं लक्ष्य के साथ एक स्पष्ट

कार्य योजना विकसित किया जाना है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रडिट, राष्ट्रीय अनुसंधान फांउडेशन तथा भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा। वर्ष 2040 तक सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों का उद्वेश्य अपने को बहुविषयक संस्थानों के रूप में स्थापित करना। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के लिए 50, 000 करोड राशि का आवंटन किया गया है। शिक्षा बजट ने एक करोड का आंकडा पार कर लिया है। किंतु अभी यह जीडीपी का 6 प्रतिशत से भी कम है।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तह्त 13 सितम्बर 2023 को राज्य सरकार ने अक्षरशः लागू करने के उद्वेश्य से शिक्षा विभाग को नई शिक्षा नीति को एनसीएफ यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के तह्त स्कूलों में पढाई के लिए नई नियमावली तैयार करने के निर्देश दिए है। इसके अन्तर्गत अब स्कूलों में सप्ताह के मात्र 29 घण्टे ही पढाई होगी, नई मॉडल में बच्चों के लिए किताबों का बोझ हल्का हो जाएगा, इससे वे आंनद के साथ सीख पढ सकेगें। इसके अगले 3 वर्षो के लिए तीसरी, चौथी, पांचवी कक्षाओं में बच्चों को भविष्य के लिए तैयार किया गया है, इसमें उन्हें गणित, कला, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान आदि विषय पढाए जायेगे।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. भारत सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020
2. नए भारत की नीव राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020ः अवनीश कुमार सिंह
3. नई शिक्षा नीति 2020ः संभावनाएं एवं चुनौतियां–अनामिका चौहान, किरण शर्मा
4. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020ः रचनात्मक सुधारों की ओर–पंकज अरोडा व उषा शर्मा
5. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीयता का पुनरूत्थान–अतुल कोठारी।